



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

07 अभियुक्त/वारंटी गिरफ्तार

दिनांक 10.10.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही एवम् आमजनमानस में सुरक्षा की भावना बनाये रखने के लिये वांछितों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना पिसांवा, रामपुर कलां, लहरपुर व सदरपुर की पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न अभियोगो/वादों से संबंधित एवं भिन्न-भिन्न स्थानों से कुल 03 वांछित/वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्न है-

- थाना पिसांवा द्वारा 04 वारण्टी/वांछित गिरफ्तार-** थाना पिसांवा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 329/21 धारा147/148/149/307/323 भा.द.वि में वांछित 03 अभियुक्त
1.हरिराज सिंह पुत्र मोमराज सिंह नि0 सुरजाबली थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर
2.शिवकुमार उर्फ टीटू पुत्र पूरन सिंह नि0ग्राम नि0ग्राम व पोस्ट बालका औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर
3.राजेश कुमार पुत्र स्व0 पटमल सिंह नि0ग्राम भीकनपुर थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त हरिराज उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। शस्त्र बरामगदी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 333/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय किया गया है तथा मु0अ0सं0 267/16 धारा 302 भा.द.वि से सम्बन्धित वारण्टी विकास पुत्र चन्द्रिका निवासी ग्राम अब्दीपुर थाना पिसांवा सीतापुर को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- थाना लहरपुर द्वारा अवैध तमंचे व कारतूस सहित एक गिरफ्तार-** थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रामसागर पुत्र चंद्र भाल नि0 चंदेसुआ थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मु0अ0सं0 501/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

3. थाना रामपुर कलां द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार- थाना रामपुर कलां पुलिस टीम द्वारा वाद संख्या 439/12 में वारंटी ओमकार पुत्र मुन्नीलाल नि0 रेवा थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
4. थाना सदरपुर द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार- थाना सदरपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 81/97 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वारंटी बालकिशुन पुत्र राजाराम लोनिया नि0 अढियापुर थाना सदरपुर सीतापुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।



PS PISAWAN



